कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या–वा0क0अधि0 / दस–3(ग) / स्था0 2023–2024 / 2012 / 2023, दिनांक: 09 / 06 / 2023

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–4 के शासनदेश सं0–5 / 2023 / 262 / सामान्य / 47 –का–4–2023–(1 / 3 / 96), दिनांक 07.06.2023 (उ0प्र0 शासन के शासनादेशों की साईट पर उक्त शासनादेश की प्रति नेट पर उपलब्ध है) द्वारा सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2023–2024 निर्गत की गयी है।

अतएव अपने–अपने कार्यालयों में कार्यरत समूह 'ग' एवं 'घ' कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कार्मिकों के प्रार्थना पत्र अपनी संस्तुति सहित विलम्बतम 16, जून 2023 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय प्रेषित करें जिससे कि प्रार्थना पत्रों पर विचार कर समयान्तर्गत स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जा सके। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरण सत्र 2023–2024 के लिये जिन कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र इस परिपत्र के जारी होने के पूर्व मुख्यालय प्रेषित किये जा चुके है, पुनः उनके प्रार्थना पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

कृपया शासनादेश एवं परिपत्र में दिये गये निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह0 / 09.06.2023
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठॉकन संख्या व दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
2–निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (डी0डी0ओ0)
3–प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4–वरिष्ठ सहायक आलेखक–प्रालेखक–1, मुख्यालय।
5–वरिष्ठ सहायक (विवरण) / मुख्यालय।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ